दिनांक 31.05.2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

नियमों का उल्लंघन करने वाले 29 लोगों पर 4850 रुपए जुर्माना, रविवार को प्रतिबंधित दुकानों का निरीक्षण करने निकली निगम की टीम

भिलाईनगर/ कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के तहत घर से बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन सख्त कार्यवाही कर रहा है। रविवार को निगम के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निगम के सभी जोन के राजस्व विभाग की टीम सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मास्क से मुंह को कवर किए बिना निकलने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड की कार्यवाही कर रही है! निगम की टीम बाजार क्षेत्र , दुकानों व ग्राहकों का निरंतर निरीक्षण कर रहे है। लोगों के अधिक आवागमन वाले चौक चौराहो का निरीक्षण करते हुए दुपहिया वाहन में अधिक सवारी पाए जाने पर अर्थदंड की कार्यवाही की जा रही है। पिछले तीन दिनों में निगम के विभिन्न क्षेत्रों मे 29 लोगों से 4850 रुपए अर्थदंड वसूला गया! निगम की टीम ने कई स्थानों का निरीक्षण करते हुए बिना मास्क लगाए घूमने वालों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड की कार्यवाही किए।

1934 लोगों पर की जा चुकी है कार्यवाही निगम की टीम कार्यवाही करते हुए अब तक 1934 लोगों से 566240 रूपए की अर्थदंड की वसूली कर चुकी है। आज रविवार को प्रतिबंधित दुकानों , व्यवसायिक क्षेत्रों का निगम के कर्मचारियों ने निरीक्षण किया। टीम आकाशगंगा , दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, कोहका आदि क्षेत्रों के दुकानों का निरीक्षण किए। इस दौरान प्रतिबंधित दुकाने बंद पाई गई।